



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 10 अलग-अलग मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को 24900/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 10 अलग-अलग मामलों में 12 अभियुक्तों को 24900/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 03/23 धारा 60 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र देवकुमार निवासी गर्गपुर अंश चन्दौर थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 73/13 धारा 324/323/504/506 भादवि के अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नादनमऊ थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 201/18 धारा 13 जी एक्ट के अभियुक्त बच्छराज पुत्र रामदयाल निवासी महोतरा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 100/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 143/17 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र गुप्ता पुत्र बट्टी प्रसाद 2. राजकुमारी पत्नी बट्टी प्रसाद निवासी बबेरू बस स्टॉप के पास थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 225/18 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त बाबूलाल पुत्र राजाराम निवासी पतारी पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 91/10 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त विकास पुत्र रामखेलावन निवासी सुदामापुरी बिसण्डा रोड थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
7. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 28/13 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र रामबिशाल निवासी भरहरा थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर को कुल 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
8. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 303/09 धारा 279/337/338/427 भादवि के अभियुक्त रामसेवक पुत्र रामबहोरी निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
9. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 231/19 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामसुमेर निवासी छिबलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को कुल 2800/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
10. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग एनसीआर 90/16 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. जयकरन पुत्र रामकुमार 2. देवादेवी पत्नी जयकरन निवासीगण केशरूबा थाना गिरवां जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।